



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3507]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939

No. 3507]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSA 1, 1939

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

का. आ. 4009(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1274(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

(i) उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाते हैं, अर्थात्:-

“1. श्री गिरिराज सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - अध्यक्ष-पदेन”

(ii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप कर दिया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप कर दिया जाएगा;

[फा. सं. 1(19)/2013-एनबीएमएसएमई]

राम मोहन मिश्रा, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्या 1274(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2017

S.O. 4009(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O. 1274 (E), dated the 24th April, 2017, namely:-

(i) In the said notification,- for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"1. Shri Giriraj Singh, Minister of State (Independent Charge), Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises - Chairperson – ex officio"

(ii) serial number 2 and the entries relating thereto shall be omitted;

(iii) serial number 3 and the entries relating thereto shall be omitted;

[F.No.1(19)/2013- NBMSME]

RAM MOHAN MISHRA, Addl. Secy. And Development Commissioner

Note. The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O.1274(E), dated the 24th April, 2017.